

राजभाषा संदर्भिका

2019



राजभाषा विभाग

दानापुर

राजभाषा संदर्भिका



पूर्व मध्य रेल
दानापुर

संरक्षक

रंजन प्रकाश ठाकुर

मडल रेल प्रबंधक



प्रधान संपादक

अरविन्द कुमार रजक

अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी



अपर मंडल रेल प्रबंधक



संपादक

राजमणि मिश्र

राजभाषा अधिकारी



कार्यकारी संपादक

भारत भूषण पाण्डेय



सहायक संपादक

सुनील कुमार सिंह



संपादकीय सहयोग

राजभाषा विभाग

दानापुर मंडल

प्रथम संस्करण : 2018

ले-आउट डिजाइन : फकीर मुहम्मद

मुद्रक : वातायन मीडिया एण्ड पब्लिकेशंस प्रा.लि.

एडीसन आर्केड, फ्रेजर रोड, पटना-1

मो. 9431040914

email : vatayanpublication@gmail.com



शुभकामना संदेश

हिन्दी, भारत संघ की राजभाषा है और इस विशाल बहुभाषा-भाषी राष्ट्र की सर्वमान्य सम्पर्क भाषा भी। ऐसी स्थिति में मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में राजभाषा हिन्दी के प्रति रुझान, सम्मान तथा राजभाषा विषयक अपेक्षित ज्ञान आवश्यक है।

इस दिशा में 'राजभाषा संदर्भिका' का प्रकाशन, मंडलाधीन राजभाषा विभाग का एक सार्थक एवं सराहनीय प्रयास है।

मैं, इस पुस्तिका के प्रकाशन से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ तथा इसकी सार्थकता की मंगलकामना करता हूँ।

०
रंजन

(रंजन प्रकाश ठाकुर)

मरेप्र / दानापुर



दो शब्द

हिन्दी की विशेषता यह है कि यह देश के कोने-कोने में कमोवश सभी जगह बोली-समझी जाने वाली एकमात्र भाषा है। इसी विशेषता के कारण इसे भारत संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और इसके प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी संघ को सौंपी गयी है।

जहाँ तक दानापुर मंडल में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार का प्रश्न है, यह मंडल पूरी तरह हिन्दीभाषी क्षेत्र अर्थात् 'क' क्षेत्र में स्थित है तथा यहाँ शत-प्रतिशत कार्मिक हिन्दीभाषी हैं। आधिकारिक स्तर पर हर संभव सहयोग से इस दिशा में और बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसके लिए मैं सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ।

राजभाषा के प्रचार-प्रसार में राजभाषा विभाग की भूमिका भी सराहनीय रही है। मुझे खुशी है कि मंडल के राजभाषा विभाग द्वारा 'राजभाषा संदर्भिका' के रूप में एक बहुपयोगी पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है जो राजभाषा हिन्दी के संवैधानिक प्रावधानों, अधिनियमों, नियमों के अतिरिक्त समस्त कामकाजी पहलुओं से संबंधित सूचनाओं का संकलन है।

मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका हमारे रेलकर्मियों के ज्ञानवर्द्धन के साथ-साथ, दैनिक कार्यालयी कामकाज में भी उपयोगी सिद्ध होगी।

शुभकामनाओं सहित।

31.12.16
अरविंद कुमार रजक

अपर मंडल रेल प्रबंधक
सह

अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी
पूँनरे/दानापुर

अनुक्रम

शुभकामना संदेश	03
दो शब्द	04
राजभाषा के विषय में सांविधानिक प्रावधान	07
राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं	10
अष्टम अनुसूची में शामिल भाषाएं	13
राजभाषा अधिनियम	14
राजभाषा विषय प्रश्नोत्तर	29
पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजनाएं	39
वाक्यांश और अभिव्यक्तियां	52
0. लिपि, भाषा देवनागरी, हिन्दी	60

राजभाषा के विषय में सांविधानिक प्रावधान

संघ की राजभाषा

अनुच्छेद 343 - (1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके लिए ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी:-

परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा, संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी अंकों का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा, उक्त पंद्रह साल की कालावधि के पश्चात् :

(क) अंग्रेजी भाषा का अथवा

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का, ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी; जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हो।

राजभाषा आयोग और संसदीय समिति

अनुच्छेद 344 - (1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करें तथा आदेश, आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया भी परिभाषित करेगा।

(2) आयोग का कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित के बारे में अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करे :-

- (क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा का उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग;
- (ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बन्धन;
- (ग) अनुच्छेद 348 में वर्णित प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा;
- (घ) संघ के किसी एक या अधिक उल्लेखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप;
- (ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पृच्छा किए हुए किसी अन्य विषय।

[राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अनुसार 30 सदस्यों की एक संसदीय समिति के गठन की व्यवस्था की गई जिसमें 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे।

राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 में हुई और उसने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत कर दी। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1957 में संसदीय समिति गठित की गई। आयोग और संसदीय समिति दोनों का विचार था कि 1956 के बाद भी 'सह-राजभाषा' के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहे।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 में यह प्रावधान है कि जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है, उसे 10 साल की समाप्ति के बाद, राजभाषा के सम्बन्ध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से, प्रस्तावित दोनों सदनों द्वारा पारित किये जाने पर, गठित की जायेगी।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। समिति संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करेगी और उस पर सिफारिश करते हुए

राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। राष्ट्रपति प्रतिवेदन को संसद के हरेक सदन के समक्ष रखवायेंगे और सभी राज्य सरकारों को भिजवायेंगे।

समिति में 30 संसद सदस्य हैं, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के।

4 मार्च, 1976 को अपनी बैठक में समिति ने मंत्रालयों, विभागों और उनके कार्यालयों तथा कम्पनियों आदि में हिन्दी के प्रयोग के पुनरीक्षण के लिए तीन उप-समितियां बनाई हैं। इन उप-समितियों का कार्यक्षेत्र नीचे लिखे अनुसार है:-

पहली उप समिति : (क) रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कर्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय।

(ख) हिन्दी प्रशिक्षण, यांत्रिकीय और अन्य सुविधाएं, अनुवाद कार्य और हिन्दी के काम से संबंधित स्टाफ की व्यवस्था।

दूसरी उप समिति : रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कृषि और सिंचाई मंत्रालय।

तीसरी उप समिति : वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, इस्पात और खान मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय, पर्यटन और नगर विमानन मंत्रालय, नौवहन और परिवहन मंत्रालय।

समिति ने 14 जून, 1976 को अपनी दूसरी बैठक में यह निश्चय किया कि वह अपने कार्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित वर्गों के लिए अलग-अलग प्रश्नावली द्वारा उनसे सूचना/विचार मांगेगी :-

- (1) जनता
- (2) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी
- (3) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग/कार्यालय
- (4) हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाने वाले राज्य।

(5) हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाने वाले राज्य।

उपर्युक्त तीनों उप समितियाँ दिल्ली और दिल्ली से बाहर स्थित केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों, कम्पनियों और निगमों आदि में जाएंगी। इन उप समितियों के दौरे के कार्यक्रम की सूचना यथासमय संबंधित मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों आदि को दी जाया करेगी।

राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ

अनुच्छेद 345 - अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा:-

परन्तु जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा इससे अन्यथा उपबंधन करें तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी।

एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा :-

अनुच्छेद 346 - संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा होगी।

परन्तु दो या दो से अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच संचार के लिए राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे संचार के लिए वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा :-

अनुच्छेद 348 - (1) इस भाग के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक:

(क) उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां,

(ख) जो :-

- (i) विधेयक, अथवा उन पर प्रस्तावित किए जाने वाले जो संशोधन, संसद के प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाएं उन सबके प्राधिकृत पाठ, तथा
- (ii) अधिनियम, संसद द्वारा या राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित किए जाएं, तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित किए जाएं, उन सबके प्राधिकृत पाठ, तथा
- (iii) आदेश, नियम, विनियम और उपविधि इस संविधान के अधीन, अथवा संसद या राज्यों के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, निकाले जायें उन सबके प्राधिकृत पाठ, अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से हिन्दी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

परन्तु इस खंड की कोई बात वैसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, आज्ञाप्ति अथवा आदेश के लिए लागू न होगी।

व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन की भाषाएं

अनुच्छेद 350 - किसी शिकायत के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का, प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा।

हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश :

अनुच्छेद 351 - हिन्दी भाषा की प्रचार-वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची

में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

संसद में प्रयोग होने वाली भाषा :

अनुच्छेद 120 - भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा :

परन्तु, यथास्थिति, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

2. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि 'या अंग्रेजी में' ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिए गए हों।

विधान मंडल में प्रयोग होने वाली भाषा :

अनुच्छेद 120 - भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य, राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा :

परन्तु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान सभा का सभापति अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। (यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं है)।

जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि 'या अंग्रेजी में' ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिए गए हैं।

परन्तु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य विधान-मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो कि उसमें आने वाले 'पन्द्रह वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'पच्चीस वर्ष' शब्द रख दिये गए हों।

अष्टम अनुसूची

(अनुच्छेद 344 (1) और 351)

- | | | |
|-------------|------------|-------------|
| 1. असमिया | 2. उड़िया | 3. उर्दू |
| 4. कन्नड | 5. कश्मीरी | 6. गुजराती |
| 7. तमिल | 8. तेलुगु | 9. पंजाबी |
| 10. बंगला | 11. मराठी | 12. मलयालम |
| 13. संस्कृत | 14. सिन्धी | 15. हिन्दी |
| 16. नेपाली | 17. कोंकणी | 18. मणिपुरी |
| 19. मैथिली | 20. डोगरी | 21. बोडो |
| 22. संथाली। | | |

परन्तु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य विधान-मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो कि उसमें आने वाले 'पन्द्रह वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'पच्चीस वर्ष' शब्द रख दिये गए हों।

अष्टम अनुसूची

(अनुच्छेद 344 (1) और 351)

- | | | |
|-------------|------------|-------------|
| 1. असमिया | 2. उड़िया | 3. उर्दू |
| 4. कन्नड | 5. कश्मीरी | 6. गुजराती |
| 7. तमिल | 8. तेलुगु | 9. पंजाबी |
| 10. बंगला | 11. मराठी | 12. मलयालम |
| 13. संस्कृत | 14. सिन्धी | 15. हिन्दी |
| 16. नेपाली | 17. कोंकणी | 18. मणिपुरी |
| 19. मैथिली | 20. डोगरी | 21. बोडो |
| 22. संथाली। | | |



राजभाषा अधिनियम

(1963 का अधिनियम संख्यांक 19)

(10 मई, 1963)

उन भाषाओं का, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी, उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।

(2) धारा 3, जनवरी 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के 'शेष उपबन्ध उस तारीख' को प्रवृत्त हों जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियमन करें और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी।

2. परिभाषाएं- इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों-

(क) 'नियत दिन' से, धारा 3 के सम्बन्ध में, जनवरी 1965 का 26वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के सम्बन्ध में वह अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबन्ध प्रवृत्त होता है;

(ख) 'हिन्दी से वह हिन्दी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

3. राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना (1) संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की

कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही :

(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी, तथा

(ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लायी जाती रह सकेगी;

परन्तु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी :

परन्तु यह और कि जहां किसी ऐसे राज्य कि जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिन्दी में ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा।

परन्तु इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ या किसी ऐसे राज्य के साथ, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, संघ या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा :-

- (i) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच;
- (ii) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के बीच;

(iii) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कम्पनी या कार्यालय के बीच;

प्रयोग में लायी जाती है, वहां उस तारीख तक जब तक, पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, निगम या कम्पनी का कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिन्दी में भी दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही :-

- (i) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार या उनके किसी मंत्रालय विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं।
- (ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्रों के लिए;
- (iii) केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित सविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्रारूपों के लिए, प्रयोग में लायी जाएंगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि केन्द्रीय सरकार, धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा उन भाषाओं का उपबन्ध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जन साधारण के हितों का सम्यक ध्यान

रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिन्दी में या अंग्रेजी में प्रवीण नहीं है, उनका कोई अहित नहीं होता।***

(5) उपधारा (1) के खंड (क) के उपबन्ध और उपधारा (2) उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबन्ध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा, जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिये जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

(4) राजभाषा के संबंध में समिति- (1) जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, राजभाषा के संबंध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी।

(2) इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस सदस्य लोकसभा के होंगे तथा दस राज्यसभा के होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(3) इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करें और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करें और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा।

(4) राष्ट्रपति उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा;

*** (परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।)

5. केन्द्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद-

(1) नियत दिन को और उसके पश्चात् शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित-

(क) किसी केन्द्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का, अथवा

(ख) संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का, हिन्दी में अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(2) नियत दिन से ही उन सब विधेयक के, जो संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनका हिन्दी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

6. कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी

अनुवाद- जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल ने उस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के प्रयोग के लिए हिन्दी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहाँ, संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिन्दी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार, से नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिन्दी में अनुवाद हिन्दी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

7. उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिन्दी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग-

नियत दिन से ही या तत्पश्चात् किसी भी दिन

से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहाँ कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहाँ उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया, अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

8. नियम बनाने की शक्ति- (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद के हर एक सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो, या ठीक पश्चात्वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस नयम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

9. कतिपय उपबन्धों का जम्मू-कश्मीर पर लागू न होना- धारा 6 और धारा 7 के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू न होंगे।

संकल्प

सं.एफ. 5/8/65-रा.भा. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित निम्नलिखित सरकारी संकल्प आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है-

संकल्प

‘जब संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना और उसका

विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक, संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है;

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी;

2. जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिन्दी के अतिरिक्त भारत की 21 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाय किए जाने चाहिए;

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास के हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हों और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें;

3. जबकि एकता की भावना के विभिन्न संवर्धन तथा देश के भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किये गये त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए;

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में, हिन्दी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए, और अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए।

4. और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों व हितों को पूर्ण परित्राण किया जाए;

यह सभा संकल्प करती है :-

(क) कि उन विशेष सेवाओं या पदों को छोड़कर जिनके लिए किसी ऐसी सेवा अथवा पद के कर्तव्य के संतोषजनक निष्पादन के हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिन्दी अथवा दोनों, जैसी स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाये, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने के हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतः अपेक्षित होगा; और

(ख) कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए, संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी के वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।'

ह./- आर.डी.थापर

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

राजभाषा : संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग

नियम, 1976

सा.का.नि. 1052 - राजभाषा अधिनियम 1963, की धारा 3 की, उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ- (1) इन नियमों का, संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।

(2) इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशित तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "अधिनियम" से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है:-

(ख) "केन्द्रीय सरकार के कार्यालय" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात्-

(i) केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय और

(iii) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में, या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी का कोई कार्यालय;

(ग) "कर्मचारी" से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "अधिसूचित कार्यालय" से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेत है;

(ङ) "हिन्दी में प्रवीणता" से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है;

- (च) “क्षेत्र क” बिहार, हरियाण, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा दिल्ली एवं अंडमान निकोबार द्वीप, संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (छ) “क्षेत्र ख” से गुजरात, महाराष्ट्र और ‘पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य अभिप्रेत है;
- (ज) “क्षेत्र ग” से खण्ड (च) और (छ) में निर्दिष्ट और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (झ) “हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान” से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।

3. राज्यों आदि तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि - (1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र ‘क’ में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति के पत्रादि, असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से -

(क) क्षेत्र ‘ख’ में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि मामूली तौर पर हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा;

परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्यक्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि सम्बद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे।

(ख) क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

(3) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हों) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

(4) उपनियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र 'ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

4. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के बीच पत्रादि -

(क) केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखनेवाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे सम्बन्धित आनुषंगिक बातों को अब ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करें।

(ग) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) विनिर्दिष्ट कार्यालय से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे,

(घ) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या क्षेत्र 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

(ङ) क्षेत्र 'ख' या क्षेत्र 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

परन्तु जहां ऐसे पत्रादि -

(i) क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' के किसी कार्यालय को सम्बोधित है, वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा।

(ii) क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को सम्बोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद उनके साथ भेजा जाएगा।

परन्तु यह और कि यदि पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को सम्बोधित हैं तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

5. हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर - नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जायेंगे।

6. हिन्दी और अंग्रेजी के प्रयोग - अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किये जाते हैं, निष्पादित किये जाते हैं और जारी किये जाते हैं।

7. आवेदन, अभ्यावेदन आदि - (1) कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

(2) जब उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

(3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक् विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

8. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणी का लिखा जाना- (1) कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा हिन्दी या अंग्रेजी में लिख सकता है तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

(2) केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति की है, अन्यथा नहीं।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग का कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता है, टिप्पणी, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएँ, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा।

9. हिन्दी में प्रवीणता -

(क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई भी परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, या

(ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था, या

(ग) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

10. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान- (1) (क) यदि किसी कर्मचारी ने-

(i) मैट्रिक या उसकी समतुल्य या उसके उच्चतर परीक्षा हिन्दी के साथ उत्तीर्ण कर ली है, या

(ii) केन्द्रीय सरकार की हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या जब उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, तब वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या

(ख) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(3) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

(4) केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कर्मचारियों के नाम, राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख से, उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया, तो यह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

11. मैनुअल संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि -

- (1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से संबंधित सभी मैनुअल संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।
- (2) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्ट्रों के प्रारूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।
- (3) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकती है।

12. अनुपालन का उत्तरदायित्व- (1) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह -

- (i) यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है; और
 - (ii) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावशाली जांच के उपाय करें।
- (2) केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक् अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

राजभाषा विषय प्रश्नोत्तर

आजादी के बाद, भारत जैसे विशाल और विविधता सम्पन्न राष्ट्र में, जहाँ विभिन्न जाति, धर्म-सम्प्रदाय, रीति-रिवाज, भाषा बोली आदि के लोग अपनी अलग पहचान और सांस्कृतिक सुषमा के साथ सदियों से रहते हों, आंतरिक सामंजस्य हेतु एक सर्वमान्य संयोजक भाषा की आवश्यकता महसूस की गई जो समग्र विभिन्नताओं के बावजूद सम्पूर्ण राष्ट्र को अपनी उदारता और सागरीय चारित्रिक विशेषताओं के बल पर, एक सूत्र में पिरोने की क्षमता रखती हो। हिन्दी को, उसकी इन्हीं नैसर्गिक विशेषताओं के कारण राजभाषा का दर्जा मिला।

राजभाषा के रूप में हिन्दी ने अपनी स्वर्ण जयंती मना ली है और आज जन-जन के मन की भाषा के रूप में पूजित है हिन्दी-न-सिर्फ स्वदेश में बल्कि देश की सीमाओं के बाहर भी है।

संवैधानिक प्रावधानों के तहत हिन्दी के प्रचार-प्रसार का दायित्व संघ को सौंपा गया है। सरकार ने इसके प्रयोग-प्रसार हेतु चतुर्दिक, प्रयास किए हैं। जिसकी सविस्तार चर्चा हम आगे करेंगे।

आज भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार विभिन्न स्तर पर आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षाओं में भी राजभाषा हिन्दी के प्रयोग-प्रसार संबंधी नियमों से प्रश्न पूछे जाते हैं। विभागीय परीक्षाओं में सम्मिलित होनेवाले कर्मचारियों में यह जिज्ञासा रहती है कि राजभाषा नीति से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? उनकी इस जिज्ञासा को ध्यान में रखकर राजभाषा विषयक आदेशों-नीतियों पर आधारित विभागीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए जा रहे हैं :-

प्रश्न-1, हिन्दी के प्रयोग-प्रसार की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? इन क्षेत्रों में कौन-कौन से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आते हैं?

उत्तर - हिन्दी के प्रयोग-प्रसार की दृष्टि से भारत को 'क' 'ख' और 'ग' -
तीन क्षेत्रों में बांटा गया है :-

'क' क्षेत्र के अन्तर्गत- 1. बिहार 2. झारखंड 3. उत्तर प्रदेश 4. उत्तरांचल 5. मध्य प्रदेश 6. छत्तीसगढ़ 7. राजस्थान 8. हरियाणा 9. हिमाचल प्रदेश राज्य 10. दिल्ली व 11. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र है।

'ख' क्षेत्र के अन्तर्गत- 1. गुजरात 2. महाराष्ट्र एवं 3. पंजाब राज्य तथा 4. चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र आते हैं।

'ग' क्षेत्र के अन्तर्गत- 1. असम 2. अरुणाचल प्रदेश 3. आंध्र प्रदेश 4. उड़ीसा 5. केरल 6. कर्नाटक. 7. गोवा 8. जम्मू एवं कश्मीर 9. तमिलनाडु 10. नगालैंड 11. पश्चिम बंगाल 12. मिजोरम 13. मेघालय 14. मणिपुर 15. सिक्किम एवं 16. त्रिपुरा राज्य तथा दमण व दीव लक्षद्वीप, पांडीचेरी और दादर व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र आते हैं।

प्रश्न-2. संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? उन सभी भाषाओं के नाम लिखें।

उत्तर- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को दर्ज किया गया है जो हमारी राष्ट्रभाषाएं कहलाती हैं। उनके नाम हैं- असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगू, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिन्धी, हिन्दी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, डोगरी बोडो और संस्थाली।

प्रश्न-3, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) किस दिन प्रवृत्त हुई? हिन्दी के प्रयोग-प्रसार के लिए इस धारा के अन्तर्गत क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं?

उत्तर- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3), 26 जनवरी, 1965 से प्रवृत्त है। हिन्दी के प्रयोग-प्रसार के लिए इस धारा के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि

केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग, या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा निम्नलिखित कागजात यथा-संकल्प, अधिसूचना, नियम, सामान्य आदेश प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदा, करार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्तियां, निविदा नोटिस, निविदा प्रारूप, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रशासकीय या अन्य प्रतिवेदन तथा राजकीय कागज-पत्र निश्चित रूप से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएंगे।

प्रश्न-4. राजभाषा नियम से क्या तात्पर्य है? इन नियमों का विस्तार कहाँ-कहाँ है?

उत्तर- राजभाषा नियम से तात्पर्य राजभाषा नियम, 1976 से है। इन नियमों का संशोधन 1987 में हुआ। इनका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

प्रश्न-5. प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी से आप क्या समझते हैं।

उत्तर- यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है या स्नातक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर किसी परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो या यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध प्रारूप में प्रवीण होने की घोषणा करता हो तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी है।

प्रश्न-6. कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी से आप क्या समझते हैं?

उत्तर- कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी से तात्पर्य उस अधिकारी/कर्मचारी से है जिसने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर अन्य परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है या हिन्दी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा या किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के लिए निर्धारित कोई निम्नतर परीक्षा या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या यदि वह इस नियम के उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी का

कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया।

प्रश्न-7. राजभाषा से क्या अभिप्राय है? अथवा राजभाषा से आप क्या समझते हैं।

उत्तर- सरकारी काम-काज की भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा से अभिप्राय संघ के साथ-साथ राज्यों के काम-काज हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली भाषा से है। वह हिन्दी जिसकी लिपि देवनागरी तथा संविधान की धारा 343 (1) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, इकाइयों आदि के प्रयोग में लायी जाती है, संघ की राजभाषा कहलाती है। धारा 345 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि राज्य के राजकीय प्रयोजनों में हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया जाएगा। धारा 346 के अनुसार यह संघ और राज्य के निर्णय पर है।

प्रश्न-8. क्या कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में कर सकता है?

उत्तर- राजभाषा नियम, 1976 के नियम 7 के अनुसार, कोई भी कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में कर सकता है। यदि वह चाहता है कि उसे उसकी सेवा संबंधी सूचना या आदेश हिन्दी या अंग्रेजी में दिया जाए तो उसे सूचना या आदेश उसी भाषा में दिया जाएगा।

प्रश्न-9. हिन्दी टंकण कार्य करने वाले अंग्रेजी टंककों और हिन्दी आशुलिपि में डिक्टेसन लेने वाले अंग्रेजी आशुलिपिकों को प्रतिमाह कितने रुपये मानदेय दिया जाता है?

उत्तर- हिन्दी टंकण कार्य करने वाले अंग्रेजी टंककों को प्रतिमाह 80/- रुपये और हिन्दी आशुलिपि में डिक्टेसन लेने वाले अंग्रेजी आशुलिपिकों को प्रतिमाह 120/- रुपये मानदेय दिया जाता है। (पुनरीक्षाधीन)

प्रश्न-10. सरकार द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रयोग-प्रसार के लिए कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं।

उत्तर- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी तथा लिपि देवनागरी है। 26 जनवरी, 1965 को राजभाषा अधिनियम, 1963 लागू किया गया तथा अधिनियम का संशोधन 1967 में किया गया। सरकारी कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए राजभाषा नियम, 1976 बने और इन नियमों का संशोधन 1987 में किया गया। राजभाषा हिन्दी के प्रयोग-प्रसार में सुविधा के लिए राजभाषा संबंधी कार्यक्रमों को तीन विधाओं - प्रशिक्षण, अनुवाद व कार्यान्वयन में बांटा गया है।

पहली विधा है प्रशिक्षण की। इस विधा के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण को अनिवार्य बना दिया गया। इसके लिए सरकार ने निःशुल्क और वह भी कार्यालय अवधि में हिन्दी में प्रशिक्षण देने की योजना लागू की। इस योजना के अन्तर्गत हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योग्यता से उत्तीर्ण होने पर नकद पुरस्कार देने का प्रावधान किया। इसके अलावा उन्हें 12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन देने का भी प्रावधान किया। निजी प्रयास से हिन्दी परीक्षा पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार देने की भी व्यवस्था सरकार की ओर से की गयी है। हिन्दी टंकण व आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए भी सरकार द्वारा ऐसी ही व्यवस्था की गयी है। चूँकि अब सरकारी कार्यालयों का तेजी से कम्प्यूटीकरण हो रहा है, सरकार द्वारा हिन्दी टंकण के बजाय कम्प्यूटर परिचालन हेतु हिन्दी में कुंजीयन प्रशिक्षण देने के लिए कर्मचारियों को विभिन्न संस्थानों में भेजा जा रहा है।

दूसरी विधा है अनुवाद की। जैसे-जैसे सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ता गया, वैसे-वैसे कार्यालयों में प्रयुक्त होनेवाले विभिन्न प्रकार के फार्मों नियमावलियों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के हिन्दी अनुवाद की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए राजभाषा नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम (11) के उप नियम (1) में यह प्रावधान किया गया कि कोड, मैनुअल, प्रक्रिया साहित्य व

लेखन-सामग्री की मदें अनिवार्यतः हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी की जाय। उपनियम (2) के अनुसार नाम पट्ट, सूचना पट्ट, लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख, रजिस्ट्रों के शीर्ष, स्थानीय व मानक फार्मों आदि का द्विभाषी रूप में जारी किया जाना अनिवार्य बना दिया गया। इसके अनुपालन स्वरूप गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधीन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गयी। ब्यूरो ने कोड, मैनुअल एवं विभागों की सहयोगी पुस्तकों का अनुवाद किया। इसके अलावा सभी मंत्रालयों एवं विभागों में हिन्दी कक्ष की स्थापना की गयी। अनुवाद विभाग द्वारा कार्यालयी काम-काज के प्रयोग में आनेवाली पुस्तकों का अनुवाद किया गया, मानक फार्मों को द्विभाषी स्वरूप प्रदान किया गया तथा स्थानीय फार्मों को अनुवाद के पश्चात सिर्फ हिन्दी में रखा गया।

तीसरी विधा है राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की। भारत सरकार की यह नीति है कि राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन, प्रोत्साहन एवं सद्भावना द्वारा किया जाए। इसके अनुरूप राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अन्य उपायों के साथ-साथ कई प्रोत्साहन योजनाएँ चालू की गयी हैं। सरकारी काम-काज, मूल रूप से हिन्दी में टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। अंग्रेजी टाइपिस्टों और आशुलिपिकों को हिन्दी में टाइप और आशुलेखन के लिए प्रोत्साहन भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। हिन्दी में काम-काज की मॉनिटरिंग के लिए चेक प्वाइंट की स्थापना के भी आदेश दिये गये हैं। चेक प्वाइंट प्रायः रोनियो, प्रेषण अनुभाग तथा प्रिंटिंग प्रेस/कम्प्यूटर को बनाया जाता है। सरकार ने समितियों के माध्यम से राजभाषा हिन्दी का प्रयोग-प्रसार सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया है। समितियों की कड़ी में संसदीय राजभाषा समिति, रेल हिन्दी सलाहकार समिति, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मंडल/कारखाना/उत्पादन इकाई स्तर पर गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ प्रमुख हैं। इनकी तिमाही बैठकें होती हैं तथा इनमें विगत तीन माह में हुई प्रगति की समीक्षा की जाती है और वार्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर विचार किया जाता है। भर्ती/विभागीय परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने, प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी

माध्यम से प्रशिक्षण देने, हिन्दी कार्यशाला आयोजित करने, हिन्दी निबंध, वाक् तथा टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने, हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा का आयोजन करने, हिन्दी पुस्तकालय स्थापित करने तथा उसमें हिन्दी पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएं मंगाने जैसे कार्य हिन्दी के प्रयोग-प्रसार की दिशा में उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं।

हिन्दी का अधिकाधिक व प्रशंसनीय प्रयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना चलायी है। हिन्दी में सर्वाधिक कार्य के लिए कार्यालय/विभाग को रेलवे बोर्ड स्तर पर इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड से नवाजा जाता है। हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए रेलवे बोर्ड स्तर पर इंदिरा गांधी पुरस्कार योजना चलायी गयी है। हिन्दी में कथा-संग्रह एवं उपन्यास लेखन के लिए प्रेमचंद पुरस्कार योजना एवं काव्य-संग्रह के लिए मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना लागू की गयी है। तकनीकी मौलिक लेखन हेतु भी पुरस्कार योजनाएं लागू हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत स्तरीय पुस्तकें लिखने के लिए नकद पुरस्कार देने का प्रावधान है। इसके अलावा हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले मंडल/कार्यालय स्टेशन को मान्यता स्वरूप रेलमंत्री राजभाषा शील्ड के साथ-साथ नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

प्रश्न-11. हिन्दी को ही राजभाषा क्यों रखा गया?

उत्तर- संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि हिन्दी संपूर्ण भारत में कमोवेश सर्वत्र बोली-समझी जानेवाली एक मात्र भाषा है और बहुभाषी विशाल भारत में एकता की भावना पिरोने जैसे राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता केवल हिन्दी में ही है। इसलिए हिन्दी को संघ (केन्द्र सरकार) की राजभाषा का पद दिया गया है।

प्रश्न-12. हिन्दी की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करें या हिन्दी भारत की राजभाषा कब घोषित हुई एवं संविधान में राजभाषा से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं?

उत्तर- राजभाषा के मुद्दे पर संविधान सभा ने तीन दिनों तक बहस करने के पश्चात् 14 सितम्बर, 1949 को राजभाषा संबंधी 343 से 351 तक नौ अनुच्छेद

अनुमोदित कर दिए। तत्पश्चात् भारत संघ की राजभाषा हिन्दी सन् 1950 को 26 जनवरी को घोषित हो गई। इस तरह संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी हो गई और प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप हो गया।

प्रश्न-13. संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिन्दी भारत की राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित है?

उत्तर- आजादी के पश्चात् देश के कर्णधारों ने हिन्दी की परंपरागत देशव्यापी भूमिका को स्वीकार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 343 (1) द्वारा उसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित और उसके प्रचार-प्रसार को केन्द्र सरकार के एक विशिष्ट दायित्व के रूप में रेखांकित किया है।

प्रश्न-14. हिन्दी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?

उत्तर- विदित है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को राजभाषा के रूप में हिन्दी को महिमामंडित किया। हमारे विशाल, बहुभाषा-भाषी, विविधता संपन्न राष्ट्र की एकता-अखंडता को कायम रखने का गुरुतर कार्य हिन्दी के कंधों पर सौंपा गया और हिन्दी हमारी राष्ट्रीय सामासिक संस्कृति की संवाहिका बनी। इसी पुनीत कार्य की स्मृति में हम प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाते हैं।

प्रश्न-15. राजभाषा के अनुपालन के संबंध में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में प्रशासनिक प्रधान का क्या उत्तरदायित्व है?

उत्तर- केन्द्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि - (1) यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और (2) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें।

प्रश्न-16. राजभाषा नियम 8 (2) से आप क्या समझते हैं?

उत्तर- राजभाषा नियम 8 (2) के अनुसार, केन्द्र सरकार का कोई भी कर्मचारी जिसे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी में

अनुवाद की मांग तभी कर सकता है जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।

प्रश्न-17. राजभाषा नियम 8(4) का क्या तात्पर्य है?

उत्तर- उपनियम (1) किसी बात के होते हुए भी केन्द्र सरकार आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हैं, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, में केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा।

प्रश्न-18. राजभाषा नियम 10(2) का आशय स्पष्ट करें।

उत्तर- यदि केन्द्र सरकार के किसी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में से 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान हासिल कर लिया है।

प्रश्न-19. राजभाषा नियम 10(4) क्या है और किस राजभाषा नियम के तहत दानापुर मंडल हिन्दी में कार्य करने के लिए अधिसूचित है?

उत्तर- राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के तहत केन्द्र सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम राजभाषा नियम 10(4) के तहत राजपत्र (गजट) में अधिसूचित किए जाएंगे। इसी नियम के तहत दानापुर मंडल भी राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए अधिसूचित है।

प्रश्न-20. राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 को परिभाषित करें?

उत्तर- राजभाषा अधिनियम 1963, उन भाषाओं को, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी, उपबंध करने के लिए अधिनियम है।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने कुछ नियम बनाई, उन्हें राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 कहा गया है।

प्रश्न-21, अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है? प्रकाश डालें।

उत्तर- अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ कक्षाओं का आयोजन किया जाता है जिनकी परीक्षा क्रमशः मई एवं नवम्बर में ली जाती है। परीक्षा पास करने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले कर्मचारियों को 600/-, 400/- एवं 200/- रुपये पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक वर्ष के लिए एक वैयक्तिक वेतनवृद्धि भी दी जाती है। पढ़ने के लिए निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था है। प्रशिक्षण संस्थान तक जाने और आने के लिए पास एवं अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विशेष अवकाश की व्यवस्था है। उक्त परीक्षाएं निजी प्रयास से पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार देने की भी व्यवस्था है।

प्रश्न-22. राजभाषा का क्या महत्व है?

उत्तर- किसी भी संप्रभुता सम्पन्न राष्ट्र के लिए एक राजभाषा का होना अनिवार्य है, क्योंकि राजभाषा या राष्ट्रभाषा राष्ट्र की संजीवनी होती है जिसमें राष्ट्र की प्राण शक्ति समाहित होती है।

लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि जन की भाषा अथवा लोकभाषा को प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान मिले। लोकभाषा या बहुजन की भाषा ही इस पद की उपयुक्त अधिकारिणी होती है।

हमारा देश एक विविधता सम्पन्न राष्ट्र है। यहां जाति, धर्म, संप्रदाय, पर्व-त्योहार, रस्मों-रिवाज, भाषा, बोली आदि अनेक स्तरों पर विविधता देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में राजभाषा के माध्यम से ही उन तमाम विभिन्नताओं को एकता के सूत्र में पिरोकर सामासिक संस्कृति की एक इंद्रधनुषी छटा बिखेरी जा सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे राष्ट्रीय मनीषियों द्वारा हिन्दी को भारतीय संघ की राजभाषा स्वीकार किया जाना, वस्तुतः इसी मूल भावना का परिणाम था।

पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजनाएँ

1. वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तत्कालीन गृहमंत्री ओम मेहता
2. रेलवे बोर्ड में पहली बार हिंदी सहायक के एक पद का सृजन कब हुआ था तथा किस शाखा के लिए हुआ था?
वर्ष 1952 में रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा के लिए।
3. रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है?
संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति।
4. कार्यालयीन काम-काज हिंदी में करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गयी योजना क्या है?
राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना।
5. हिंदी प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है?
55-59% अंक - 400/-
60-69% अंक - 800/-
70% या उससे अधिक अंक- 1600/-
6. हिंदी प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है?
55-59% अंक - 600/-
60-69% अंक - 1200/-
70% या उससे अधिक अंक 1800/-
7. हिन्दी प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है?
55-59% अंक - 800/-
60-69% अंक - 1600/-
70% या उससे अधिक अंक 2400/-
8. हिंदी टंकण परीक्षा पास करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है?
90-94% - 800/-

95-96% - 1600/-

97-100% - 2400/-

9. हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है?

88-91% - 800/-

92-94% - 1600/-

95-100% - 2400/-

10. निजी प्रयत्नों से हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार की राशि क्या है?

प्रबोध - 1600/-

प्रवीण - 1500/-

प्राज्ञ - 2400/-

11. निजी प्रयत्नों से हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार की राशि क्या है?

1600/- रुपये।

12. निजी प्रयत्नों से हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार की राशि क्या है?

3000/- रुपये।

13. केन्द्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं?

प्रधानमंत्री

14. संबंधित मंत्रालय/विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है?

हिंदी सलाहकार समिति

15. वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ?

जनवरी, 1976

16. संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य हैं?

30 सदस्य

17. संसदीय राजभाषा समिति में लोकभाषा के कितने सदस्य हैं?
20 सदस्य
18. संसदीय राजभाषा समिति में राज्यभाषा के कितने सदस्य हैं?
10 सदस्य
19. संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियाँ हैं?
03 उप समितियाँ।
20. संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य कार्य क्या है?
हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना।
21. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं?
नगर स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी।
22. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है?
तीन महीने में एक बार।
23. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है?
छः महीने में एक बार।
24. राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है?
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय।
25. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम कौन-कौन हैं?
प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम।
26. हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम की परीक्षाएं वर्ष में कितनी बार ली जाती हैं?
वर्ष में दो बार।
27. हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम की अवधि क्या है?
05 महीने की।
28. केन्द्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है?
प्राज्ञ पाठ्यक्रम।

29. हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को कौन-सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं?
नियमित, गहन, पत्राचार और प्राइवेट।
30. नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ किस-किस महीने में ली जाती हैं?
प्रत्येक वर्ष मई और नवंबर में।
31. नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों का सत्र किस-किस महीने में आरंभ होता है?
जनवरी और जुलाई में।
32. मातृभाषा के आधार पर केन्द्रीय कर्मचारियों को कितनी कोटियों में वर्गीकृत किया गया है?
कोटि 'क', 'ख', 'ग' और 'घ'
33. मातृभाषा के अनुसार कोटि 'क' में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है?
जिनकी मातृभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी या उसकी बोली है।
34. मातृभाषा के अनुसार कोटि 'ख' में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है?
जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पश्तो या कोई अन्य संबद्ध भाषा है।
35. सामान्य कार्य के अतिरिक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्य देखने वाले कर्मचारी को प्रतिमाह कितना मानदेय दिया जाता है?
रु० 300/- प्रतिमाह।
36. मातृभाषा के अनुसार कोटि 'ग' में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है?
जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, असमिया और सिंधी है।
37. मातृभाषा के अनुसार कोटि 'घ' में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है?
जिनकी मातृभाषा दक्षिण भारतीय भाषा या अंग्रेजी है।
38. रेलवे बोर्ड की राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पूर्व मध्य रेल से कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाता है?
चार
39. सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत मुख्यालय को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि क्या है तथा कितने कर्मियों में वितरित की जाती है?
9000/- रुपये, 06 कर्मियों में बराबर-बराबर

40. सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत किसी मंडल को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि क्या है तथा कितने कर्मियों में वितरित की जाती है?
6000/- रुपये, 05 कर्मियों में बराबर-बराबर
41. सामूहिक नकद पुरस्कार योजना के अंतर्गत किसी कारखाना को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि क्या है तथा कितने कर्मियों में वितरित की जाती है?
4000/- रुपये, 05 कर्मियों में बराबर-बराबर
42. नाम, पदनाम तथा साइन बोर्ड को किस भाषा क्रम में प्रदर्शित किया जाना है?
1. प्रादेशिक भाषा 2. हिंदी 3. अंग्रेजी
43. रबर की मुहरों को किस भाषा क्रम में तैयार किया जाता है?
हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में एक लाइन हिंदी और एक लाइन अंग्रेजी।
44. आठवी अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा क्या है?
नेपाली
45. मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं?
मंडल रेल प्रबंधक
46. एक मुश्त पुरस्कार के लिए कौन अर्हक होंगे?
ऐसे कर्मचारी जो हिंदी परीक्षा प्राइवेट तौर पर पास करते हैं।
47. स्टेशन उद्घोषणाओं को किस भाषा क्रम में करना है?
प्रादेशिक भाषा, हिंदी व अंग्रेजी क्रम में।
48. हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पाने के कौन योग्य होते हैं?
ओपन लाइन के सभी कर्मचारी जो आम जनता से सीधे संपर्क करते हैं (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित)
49. राजभाषा अधिनियम, 1963 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को राजभाषा संबंधी नियम बनाने की शक्ति दी गई है?
राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 8 के अंतर्गत

50. कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक से सम्मानित किये जाने वाले उच्च अधिकारी को पदक के अलावा नकद पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है?
5000/- रुपये।
51. रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक से सम्मानित किये जाने वाले उच्च अधिकारी को पदक के अलावा नकद पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है?
4000/- रुपये
52. तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए चालू की गयी योजना कौन-सी है?
लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन नकद पुरस्कार योजना।
53. लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन नकद पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार की राशि कितनी है?
प्रथम - 20000/- एक
द्वितीय - 10000/- एक
तृतीय - 7000/- एक
54. हिंदी डिक्शनरी पुरस्कार योजना के अंतर्गत हिंदी में डिक्शनरी देने वाले कितने अधिकारियों को तथा पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है?
प्रत्येक विभाग के दो अधिकारियों को, एक हिंदी भाषी अधिकारी को जिनका घोषित निवास 'क' और 'ख' क्षेत्र हो तथा दूसरा गैर हिंदी भाषी अधिकारी को जिनका घोषित निवास 'ग' क्षेत्र हो, दो-दो हजार रुपये नकद पुरस्कार दिये जाते हैं।
55. कथा/कहानी संग्रह एवं उपन्यास लेखन हेतु चलायी गयी योजना कौन-सी है?
प्रेमचंद पुरस्कार योजना।
56. कथा/कहानी संग्रह एवं उपन्यास लेखन हेतु दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है?
प्रथम - 20000/- एक

- द्वितीय - 10000/- एक
तृतीय - 7000/- एक
57. काव्य/गजल-संग्रह लेखन हेतु चलायी गयी योजना कौन-सी है।
मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना।
58. मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है?
प्रथम - 20000/- एक
द्वितीय - 10000/- एक
तृतीय - 7000/- एक
59. रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए पूर्व मध्य रेल के 04 अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि कितनी है?
प्रत्येक को 1500/- रुपये।
60. अखिल रेल हिंदी निबंध, वाक् तथा टिप्पण-प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है?
प्रथम - 3000/- एक
द्वितीय - 2500/- एक
तृतीय - 2000/- एक
सांत्वना - 1500/- पाँच
61. क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध, वाक् तथा टिप्पण-प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है?
प्रथम - 2000/- एक
द्वितीय - 1600/- एक
तृतीय - 1200/- एक
सांत्वना - 800/- तीन

62. हिंदी निबंध, वाक् तथा टिप्पण-प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं में किस क्षेत्र के गैर-हिंदी भाषी प्रतियोगियों को प्रतियोगिता में प्राप्तांक पर अधिमान अंक (Grace Marks) दिया जाता है?
'ग' क्षेत्र के गैर हिंदी भाषी प्रतियोगियों को।
63. हिंदी निबंध, वाक् तथा टिप्पण-प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं में 'ग' क्षेत्र के गैर हिंदी भाषी प्रतियोगियों को प्राप्तांक का कितना प्रतिशत अधिमान अंक (Grace Marks) दिया जाता है?
5% अधिमान अंक
64. अंग्रेजी के अलावा हिंदी में टंकण हेतु अंग्रेजी आशुलिपिकों व अंग्रेजी टाइपिस्टों को प्रत्येक माह कितना मानदेय दिया जाता है?
अंग्रेजी आशुलिपिक-240/- प्रतिमाह
अंग्रेजी टाइपिस्ट- 160/- प्रतिमाह
65. हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान देने वाले अतिथि वक्ताओं तथा सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को कितना मानदेय दिया जाता है?
240/- रुपये प्रतिघंटा (पुनरीक्षाधीन)
66. हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए एक वक्ता को अधिकतम कितना मानदेय दिया जा सकता है?
2400/- रुपये अधिकतम।
67. सामान्य प्रकार की सामग्री का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद के लिए कितना मानदेय दिया जाता है?
60/- रुपये प्रति हजार शब्द।
68. कोड/मैनुअल आदि तकनीकी सामग्री का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद के लिए कितना मानदेय दिया जाता है।
65/- रुपये प्रति हजार शब्द।
69. विभागीय परीक्षाओं में कितने प्रतिशत अंकों के प्रश्न हिंदी से संबंधित पूछे जाते हैं?
कुल अंक के 15 प्रतिशत अंकों के प्रश्न।

70. विभागीय परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित प्रश्न का उत्तर देना क्या अनिवार्य है?
नहीं।
71. मंडलों के अपर मंडल रेल प्रबंधकों को हिंदी का अतिरिक्त कार्य करने के लिए कितना विशेष वेतन दिया जाता है?
1200/- रुपये प्रतिमाह।
72. किसी कार्यालय में हिंदी का अतिरिक्त कार्य देखने के लिए जे.ए. ग्रेड अधिकारी को कितना विशेष वेतन दिया जाता है?
600/- रुपये प्रतिमाह।
73. साधारण सामग्री के अनुवाद के लिए प्रतिदिन निर्धारित शब्द सीमा क्या है?
1750 शब्द प्रतिदिन।
74. तकनीकी सामग्री के अनुवाद के लिए प्रतिदिन निर्धारित शब्द सीमा क्या है?
1350 शब्द प्रतिदिन।
75. साधारण सामग्री के पुनरीक्षण (वेटिंग) के लिए प्रतिदिन निर्धारित शब्द सीमा क्या है?
5800 शब्द प्रतिदिन।
76. तकनीकी सामग्री के पुनरीक्षण (वेटिंग) के लिए प्रतिदिन निर्धारित शब्द सीमा क्या है?
4000 शब्द प्रतिदिन।
77. हिंदी पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद हेतु वजट व्यवस्था के अंतर्गत प्रति अधिकारी/कर्मचारी दर क्या है?
प्रति अधिकारी/कर्मचारी 10/- रुपये इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी शामिल है।
78. किसी कर्मचारी को हिंदी पुस्तकालय का अतिरिक्त कार्य देखने के लिए प्रतिमाह कितने रुपये विशेष भत्ता के रूप में मिलते हैं?
500/- रुपये प्रतिमाह।
79. वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई?
01 अक्टूबर 1961

80. राजभाषा अधिनियम, 1963 की किस धारा के तहत केन्द्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गयी है?

धारा-8

81. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कौन-कौन-से दस्तावेज हैं?

संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, सविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, निविदा सूचना, निविदा फार्म, संसद के किसी सदन या सदनों में रखे जाने वाले प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट तथा सरकारी कागज-पत्र।

82. राजभाषा नियम, 1976 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है?

नियम 7 के उपनियम (1) के अंतर्गत।

83. राजभाषा नियम, 1976 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी माँग कर सकता है कि उस पर तामील किया जाने वाला आदेश या सूचना हिंदी या अंग्रेजी में दी जाए?

नियम 7 के उपनियम (3) के अंतर्गत।

84. राजभाषा नियम, 1976 के किस नियम के अंतर्गत और किन परिस्थितियों में आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है?

नियम 7 के उपनियम (2) के अंतर्गत यदि कोई सरकारी व्यक्ति आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में देता है या अंग्रेजी में लिखित आवेदन, अपील या अभ्यावेदन पर हिंदी में हस्ताक्षर करता है तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है।

85. किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत कर सकता है?

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (1) के अंतर्गत।

86. किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की माँग कब की जा सकती है?

जब कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो।

87. कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकार का है या नहीं, इसका निर्धारण कौन कर सकता है?

विभाग या कार्यालय का प्रधान।

88. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) से क्या तात्पर्य है?

कोई कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है। इस बात के होते हुए भी नियम 8(4) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालय को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहाँ ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा।

89. हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी के आप क्या समझते हैं?

यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी में उत्तीर्ण कर ली है या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है या यदि वह विहित प्रपत्र में घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

90. हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी से आप क्या समझते हैं?

यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है या केन्द्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित परीक्षा या किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के लिए इस योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या यदि वह विहित प्रपत्र में घोषणा करता है कि उसे हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

91. हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गयी है?

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 9 के अंतर्गत।

92. हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गयी है?

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के अंतर्गत।

93. इस बात का निर्धारण कैसे किया जाएगा कि किसी कार्यालय के कर्मचारियों को कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है?

यदि किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से 80 प्रतिशत ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के बारे में यह समझा जाएगा कि वहाँ के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

94. नियम 10(4) से क्या तात्पर्य है?

नियम 10(4) राजभाषा नियम, 1976 से संबद्ध है। केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख से 80 प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि उक्त कार्यालय अब उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

95. राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी है?

कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान।

96. किस नियम के अंतर्गत प्रशासनिक प्रधान को राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है?

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अंतर्गत।

97. अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में टाइपिंग के लिए अंग्रेजी आशुलिपिकों और अंग्रेजी टाइपिस्टों को कितना मानदेय दिया जाता है?
आशुलिपिक - 120/- प्रतिमाह (पुनरीक्षाधीन)
टाइपिस्ट - 80/- प्रतिमाह (पुनरीक्षाधीन)
98. हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए वार्षिक बजट व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित दर क्या है?
प्रति कर्मचारी 10/- रु. (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित)
99. किसी कार्यालय में नया हिंदी पुस्तकालय खोलने का आधार क्या है?
कर्मचारियों की संख्या 300 या इससे अधिक होनी चाहिए।
100. रेलों की हिंदी पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाओं के लिए कितना मानदेय दिया जाता है?
- | | |
|-----------------------|------------|
| लेख/कहानी/नाटक- | 1000/- रु. |
| कविता/पुस्तक समीक्षा- | 400/- रु. |
| कार्टून/चित्र- | 300/- रु. |
101. रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं?
अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड
102. रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव कौन होते हैं?
निदेशक, (राजभाषा)
103. राजभाषा से क्या तात्पर्य है?
कार्यालयों में शासकीय प्रयोजनों के लिए सरकारी कामकाज जिस भाषा में निष्पादित किए जाते हैं, उसे राजभाषा (ऑफिसियल लैंग्वेज) कहते हैं। 'राजभाषा' से अभिप्रेत अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी से है जिसकी लिपि देवनागरी है। 'कार्यालय' से अभिप्रेत केंद्र व राज्य सरकार के कार्यालयों, बैंकों, निगमों आदि से है।

वाक्यांश और अभिव्यक्तियां

	(A)
above given	उपरिलिखित
a brief note is placed below-	संक्षिप्त नोट नीचे दिया गया है
according to the rules in vogue	प्रचलित नियमानुसार
acceptance is awaited	स्वीकृति की प्रतीक्षा है
action is underway	कार्रवाई की जा रही है।
after perusal	देखने के बाद
as compared with	की तुलना में
as an exceptional case	अपवाद के रूप में
as recommended by	सिफारिश के अनुसार
attend in person	स्वयं हाजिर होना
	(B)
background of the case	मामले की पृष्ठभूमि
ban on future promotion	भावी पदोन्नति पर रोक
bill of payment	भुगतान बिल
brief note is placed below	संक्षिप्त नोट नीचे दिया है
budget provision exists	बजट में व्यवस्था है
by registered post	रजिस्ट्र से, पंजीकृत डाक द्वारा
experimental basis	प्रयोगात्मक आधार

ex-parte judgement

एकपक्षीय निर्णय

(C)

call for an explanation

जवाब तलब किया जाए

carried down

अधोनीत, तलशेष

case has been closed

मामला समाप्त कर दिया गया है

certificate by the competent

सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र

collection of arrears

बकाया वसूली

compensation ex-gratia

अनुग्रहपूर्वक क्षतिपूर्ति

consolidated report may be

समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए

continue in office

पद पर बने रहना

cost plus profit basis

लाभ रहित लागत-आधार

लागत सहित लाभ-आधार

(D)

damage and deficiency report

क्षति और कमी की रिपोर्ट

date and time of receipt

आवती मिलने की तारीख और समय

day to day administrative work

दैनंदिन प्रशासनिक कार्य,

नित्य का प्रशासनिक कार्य

delay should be avoided

विलंब न होने दें, देर नहीं होनी चाहिए

departmental negligence

विभागीय लापरवाही, विभागीय प्रमाद

discretionary power

विवेकाधिकार

duly authenticated

सम्यक् रूप से प्रमाणित

(E)

erroneous grant of pension

पेंशन की गलत स्वीकृति

errors and omissions

भूलचूक

ex-parte judgement

एकपक्षीय निर्णय

experimental basis प्रयोगात्मक आधार

(F)

false testimony मिथ्या साक्ष्य
following transfers and postings निम्नलिखित स्थानान्तरण और
will take effect immediately तैनातियाँ तत्काल प्रभावी होंगी
for consideration विचारार्थ
for guidance मार्गदर्शन के लिए
for Perusal अवलोकनार्थ
for remarks अभ्युक्ति के लिए
fringe benefit अनुषंगी हितलाभ, वेतनेतर हितलाभ
funds not available निधि उपलब्ध नहीं है

(G)

get clarification on the staff संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण
give details विस्तृत जानकारी दें
give effect to कार्यान्वित करें
good service pay प्राप्ति सेवा वेतन
governed by the rules नियमों द्वारा शासित
grant of special pay विशेष वेतन की स्वीकृति
guardian ad litum वादार्थ अभिभावक

(H)

habitual defaulter आदतन चूककर्ता
half fare आधा किराया
hard and fast rule पक्का नियम
having regard to ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखकर
highly objectionable अत्यंत आपत्तिजनक

hold in abeyance

प्रास्थगित रखना

hold lien on post

पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार होना,

पद पर लियन होना

(I)

if deemed fit

यदि उचित समझें

illegal transactions

अवैध सौदे

in accordance with

के अनुसार

in camera

बंद कमरे में

in contravention of

का उल्लंघन करते हुए

in favour of

1. के पक्ष में

2. के नाम से

in modification of

का आशोधन करते हुए,

में तरमीम करते हुए

in order of merit

गुणानुक्रम से

in other respects

अन्य बातों में

in personal capacity

वैयक्तिक हैसियत से

in respect of

के लिए, के विषय में

in supersession of

का अतिक्रमण करते हुए

in the aggregate

कुल मिलाकर

in the light of

को ध्यान में रखते हुए

item for inspection

निरीक्षणार्थ मद

(J)

just below

ठीक नीचे

justification for the proposal

प्रस्ताव का औचित्य

just now

अभी तुरन्त

(K)

keep in abeyance	प्रास्थगित रखना (मुलतवी रखना)
kindly expedite disposal	कृपया शीघ्र निपटान करें
kinds of documents	दस्तावेजों के प्रकार

(L)

leave not earned	अनर्जित छुट्टी
leave travel assistance	छुट्टी यात्रा सहायता
letter of allotment	आवंटन पत्र
letter of introduction	परिचय-पत्र
library on wheels	चलता-फिरता पुस्तकालय
loss of resale	पुनर्विक्रय में हानि

(M)

matter is under consideration	विषय विचाराधीन है, मामला विचाराधीन है
may be regretted	खेद प्रकट किया जाए
memorandum of objection	1. आपत्ति-ज्ञापन 2. आक्षेप का ज्ञापन (विधि)
mentioned above	उपर्युक्त, उपरिलिखित

(N)

needful done	आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है, अपेक्षित कार्रवाई हो चुकी है
negotiated sale	बातचीत से तय की गई बिक्री, वार्तातय बिक्री
no claim certificate	दावा-नहीं प्रमाणपत्र
nominal penalty	नाममात्र शास्ति
non-bailable warrant	गैर-जमानती वारंट

non-compliance

अपालन

non-qualifying service

अनर्हक सेवा

not transferable

अहस्तांतरणीय

(O)

objectionable action

आपत्तिजनक कार्य

on an average

औसतन

on compassionate grounds

अनुकंपा के आधार पर

on probation

परिवीक्षाधीन

order communicated

आदेश भेज दिया गया

order may be issued

आदेश जारी कर दिया जाए

(P)

parliamentary committee

संसदीय समिति

passed for payment

भुगतान के लिए पास किया

pensionary liability

पेंशन संबंधी देयता

placed under suspension

निलंबित

please sign in Hindi

कृपया हिन्दी में हस्ताक्षर करें

please speak

बात कीजिए

provisional order

अनंतिम आदेश

(Q)

question of propriety

औचित्य का प्रश्न

quotations from

से लिए गए उद्धरण

quote reference

संदर्भ बताएँ, हवाला बताएँ

(R)

referred to above

उपरिनिर्दिष्ट

referred to as

के नाम से निर्दिष्ट

removal power

निष्कासन अधिकार,

निष्कासन की शक्ति

revive of the case

मामले को फिर से उठाना

(S)

satisfactory cases

संतोषजनक मामले

scope in this cases

इस मामले में गुंजाइश

self explanatory

स्वतः स्पष्ट

so called

तथाकथित

spread over

विस्तीर्ण

supplementary test

संपूरक जांच, संपूरक परीक्षण

(T)

take over charge

कार्यभार ग्रहण करना

taking over charge

कार्यभार ग्रहण करना

the proposal is quite in order

यह प्रस्ताव बिल्कुल नियमानुकूल है

this is to certify

प्रमाणित किया जाता है

this requires administrative

इसके लिए प्रशासनिक अनुमोदन

approval

अपेक्षित है

to impose fine

जुर्माना करना

to the contrary

इसके विपरीत, इसके प्रतिकूल

to the extent of

की सीमा तक

(U)

unauthorised action

अप्राधिकृत कार्रवाई

under mentioned

निम्नलिखित

under suspension

निलंबनाधीन

up-to-date

अद्यतन, आज तक का

urgently required

अविलंब चाहिए, तुरंत आवश्यकता है

(V)

valedictory address

समापन भाषण, विदाई भाषण

verification of service

सेवा का सत्यापन

vetting of draft

प्रारूप का पुनरीक्षण

(W)

wanting documents

अपेक्षित दस्तावेज

whichever is earlier

जो भी पहले हो,

जो भी पहले घटित हो

with compliments from

समादर सहित

without delay

अविलंब

without interruption

बिना बाधा के

with regard

सादर, शुभकामनाओं सहित

work in progress

कार्य-प्रगति

(Y)

yearly clearance

वार्षिक निकासी

yours sincerely

आपका, भवदीया

लिपि, भाषा : देवनागरी, हिन्दी

- राजमणि मिश्र

सब गुरु-जन को बुरा बतावे
अपनी खिचड़ी अलग पकावे
भीतर तत्व न झूठी तेजी
क्यों सखि साजन, नहीं अंग्रेजी

.....भारतेन्दु

अन्य भाषाओं की तरह ही अंग्रेजी एक भाषा है। अंग्रेजी जानना, बोलना और लिखना विद्वता का मानदंड नहीं हो सकता। ये सभी बातें सही हैं पर सामान्य व्यवहार में, दफ्तर में, पब्लिक प्लेस पर अंग्रेजी की महिमा से हमें रू-ब-रू होना पड़ता है। इन जगहों पर यह भाषा अन्य भाषाओं को हीन या कमतर बताने लगती है।

चीनी, स्पेनिश और अंग्रेजी के बाद दुनियाभर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है- हिन्दी। बाकी भाषाओं की तुलना में हिन्दी बिल्कुल नई है, लगभग डेढ़ सौ वर्ष पुरानी। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि को लेकर अभियान चला। अनुमान है कि वर्ष 1873 में हिन्दी नई धारा में प्रवाहित हुई। इस दौरान राष्ट्रीय चेतना के परिदृश्य में भी भाषा को लेकर सुगबुगाहट होने लगी। हिन्दी हमारे स्वाधीनता संग्राम की भाषा रही। इन्हीं कारणों से हिन्दी की वकालत करने का काम महात्मा गाँधी, डॉ. अंबेदकर, कालेलकर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सुभाषचंद्र बोस जैसे गैर हिन्दी नेताओं ने किया।

दुनिया भर का श्रेष्ठ साहित्य हमेशा अपनी भाषा में ही रचा गया। इसे हम नवजागरण कहते रहे जिसका मुख्य आधार हमारी मातृभाषा हुआ करती है। हिन्दी प्रदेशों में नवजागरण का दूत माने जाने वाले भारतेन्दु की उक्ति है- 'निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल'

हिन्दी लिपि देवनागरी वैज्ञानिक है- अन्य लिपियों की तुलना में हिन्दी लिपि देवनागरी वैज्ञानिक और बेहतर है। जो उच्चरित होता है वही लिपिबद्ध किया जाता है। अंग्रेजी के Put और But की तरह अलग-अलग उच्चारण नहीं है। इस संबंध में एक आयोजन की चर्चा प्रासंगिक है। आयोजन के प्रतिभागियों में एक का नाम कलानाथ था और उद्घोषक को नामों की सूची रोमन लिपि में मुहैया कराई गई थी और उसके मुँ कलानाथ की जगह कलानाथ निकल गया। आप सोच सकते हैं कि उस जगह हिन्दी और देवनागरी के अभाव में क्या दृश्य उपस्थित हुआ होगा।

प्रतिरोध का माध्यम- आजादी की लड़ाई में अंग्रेजी के बदले हिन्दी का चुनाव महज भाषागत चुनाव नहीं था, बल्कि हिन्दी आजादी की लड़ाई के मूल्यों जैसे- धर्म निरपेक्षता, संप्रभुता व समाजवादी तत्वों को भी आगे ले चलने वाली भाषा थी, जो बाद में हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना बनी। यह सिर्फ भारत में नहीं हुआ, बल्कि तीसरी दुनिया के देशों में, जहाँ कहीं भी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन चला है, भाषा का सवाल एक प्रमुख मुद्दा बना रहा है। इन्हीं कारणों से अफ्रीकी देशों के साहित्यकारों, मसलन-चिनुआअचेबे, न्गुगी वा थ्योंगे ने अंग्रेजी को छोड़ मातृभाषा में 'गिकियू' में लिखना प्रारंभ किया।

महत्वपूर्ण है भाषाई अस्मिता- भारत के क्रांतिकारियों को पनाह देने वाले पत्रकार व 'प्रताप' के यशस्वी संपादक गणेश शंकर 'विद्यार्थी' का मशहूर उद्धरण है, "यदि मुझे देश की आजादी और भाषा की आजादी में से एक को चुनना पड़े तो मैं भाषा की आजादी चुनूंगा, क्योंकि यदि देश आजाद रहा और भाषा गुलाम रही, तो देश के फिर से गुलाम होने का खतरा बना रहेगा, लेकिन भाषा आजाद रही तो देश को भी गुलामी से मुक्त करा लेगी।"

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' हिन्दी को देश के सांस्कृतिक उत्थान के लिए सर्वाधिक प्रमुखता देते थे। वे कहा करते थे- हिन्दी वे बैरामीटर है जिसमें हम अपनी राष्ट्रीय भावना का उतार-चढ़ाव देख सकते हैं। साथ ही यह भी जोड़ते हैं- 'हिन्दी आई तो भारत की सभी भाषाएँ आ पहुँचेंगी और यदि हिन्दी रोक दी गयी तो कोई भी भाषा अंग्रेजी की जगह नहीं ले पाएगी।

भाषाशास्त्र के मुताबिक कोई भाषा अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि उसके सामाजिक संबंध उसका महत्व और स्तर निर्धारित करते हैं। चूंकि अंग्रेजी संसाधनों से परिपूर्ण ताकतवर लोगों की भाषा है, इस कारण अंग्रेजी बोलने वाले अपनी भाषा को बेहतर और हिन्दी को कमतर साबित करने की कोशिश करते हैं। भाषाओं की पारस्परिकता, संबंधों की प्रकृति को इस दिलचस्प तथ्य से समझा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा में हिन्दी का जो पहला शब्द शामिल हुआ, वह था- 'लूट'। अंग्रेजों द्वारा भारत में 'लूट' की कहानी से सभी परिचित हैं।

निष्कर्षतः अपनी भाषा अपने घर, अपने आंगन जैसी होती है। बाहरी दुनिया की परिक्रमा के बाद घर पहुँचकर जो आराम महसूस होता है वही आराम अपनी जवान को बोलने-लिखने में होता है। तो आइए, टेढ़े-मेढ़े मार्ग को न अपनाकर सीधे-सादे, सरल-सहज, रास्ते का अनुसरण कर गंतव्य की ओर बढ़ें।

राधि, पूमरे, दानापुर

मो. 9771449606